

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग
प्रथाएँ

अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएँ

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना साथ ही इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है।

इस अध्याय में वित्तीय रिपोर्टिंग की पूर्णता, पारदर्शिता, मापदण्ड एवं प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

लेखाओं की पूर्णता से सम्बंधित मुद्दे

4.1 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियां

संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में प्रावधान है कि किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, उस सरकार द्वारा कोषागार बिल, ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम जारी करके उठाया गया समस्त ऋण तथा ऋण अदायगी से उस सरकार को प्राप्त समस्त धन राज्य की समेकित निधि का पात्र होने के लिए एक समेकित निधि का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 266 (2) में प्रावधान है कि अन्य समस्त लोक धन जो राज्य की सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से, प्राप्त किया जाता है, राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना के कुछ उल्लेखनीय दृष्टांतों पर नीचे चर्चा की गई है।

4.1.1 भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिकों की नियुक्ति एवं सेवा-शर्तों के विनियमन तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के उपाय उपलब्ध कराने के लिए भवन और अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। उपकर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) निरूपित किया। तदनुसार, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक नियम, 2008 बनाया गया। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन मार्च 2009 में किया गया। बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इसके लेखाओं की अलग से लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन किया जाता है।

उपकर अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य से सम्बंधित प्रत्येक नियोक्ता पर उपकर लगाया व संग्रहित किया जाए तथा इस उपकर की संग्रह-लागत काटने के पश्चात्, जो एकत्रित राशि के एक प्रतिशत से अधिक न हो, इसे बोर्ड को चुकाया जाए। उपकर नियमों की धारा 5 के अनुसार संग्रहित उपकर की आय राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के तहत निर्धारित चालान के रूप में (एवं बोर्ड के लेखा शीर्ष में) बोर्ड को हस्तांतरित की जाए। यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रम उपकर के लेखांकन हेतु कोई नियम नहीं बनाए एवं श्रम उपकर की बुकिंग व संग्रहण के लिए सरकार द्वारा कोई निश्चित उप-शीर्ष प्रदान नहीं किया। लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग मण्डलों द्वारा निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर एकत्र किया जा रहा है तथा 8443-सिविल निक्षेप-108-लोक निर्माण जमा निक्षेप के तहत बुक किया जा रहा है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 38.74 करोड़ एकत्र किए एवं भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड को ₹ 41.59 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 8443 से ₹ 24.92 करोड़ राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

हालांकि बोर्ड द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, 2021-22 के दौरान उसके पास ₹ 671.82 करोड़ का अथ शेष था एवं श्रम उपकर, ब्याज आदि के रूप में ₹ 132.16 करोड़ प्राप्त हुए थे। वर्ष के दौरान बोर्ड ने ₹ 100.83 करोड़ खर्च किए, जिसमें से ₹ 3.68 करोड़ प्रशासनिक व्यय व श्रम कल्याण गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च किए गए। वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2022 तक बोर्ड के पास ₹ 703.15 करोड़ की राशि थी। विगत वर्ष अर्थात् 2020-21 (₹ 656.99 करोड़) के अंत शेष के आंकड़ों एवं चालू वर्ष अर्थात् 2021-22 (₹ 671.82 करोड़) के अथ शेष के मध्य ₹14.83 करोड़ का अंतर पाया गया। बोर्ड ने इस अंतर का कारण, विगत वर्ष की सूचना भेजते समय लेखाओं को अंतिम रूप न देना बताया।

लोक लेखा में सभी स्रोतों से प्राप्त विशेष रूप से इस उपकर की बुकिंग हेतु लोक निर्माण-कार्य निक्षेप में कोई पृथक उप-शीर्ष नहीं है, अतः एकत्र की गई उपकर राशि श्रमिक कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित की गई तथा शेष राशि को अभी तक स्थानांतरित किया जाना पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

4.1.2 समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण

प्रदत्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने बजट से इतर (ऑफ-बजट) उधार का सहारा नहीं लिया। वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्ध वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे कोई उधार नहीं पाए गए।

4.1.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

2014-15 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी जाने वाली समस्त सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी न करके राज्य सरकार को जारी करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद निधियां अभी भी भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित की जा रही थीं। ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से जारी नहीं करने के कारण राज्य सरकार के लेखों में दर्शाई नहीं गई थीं।

विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित सकल राशि का विवरण तालिका-4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां

राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण	2019-20	2020-21	2021-22
अंतरित निधियां (₹ करोड़ में)	1,372.69	1,866.98	2,534.57

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2,534.57 करोड़ (लेखापरीक्षित नहीं किए गए आंकड़े) सीधे जारी किए। 2021-22 में कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण 2020-21 के ₹ 1,866.98 करोड़ से 35.76 प्रतिशत बढ़कर ₹ 2,534.57 करोड़ हो गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त लेखे के परिशिष्ट-VI में वर्णित कुल राशि ₹ 2,534.57 करोड़ में से, केन्द्रीय प्रायोजित 30 योजनाओं के तहत ₹ 1,533.06 करोड़ का केंद्रीय अंश, राज्य की समेकित निधि को दरकिनार करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित किया गया। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 37,309.30 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 17,633.32 करोड़) का क्रमशः 4.11 प्रतिशत व 8.69 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 हेतु राज्य सरकार के लेखाओं में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के केंद्रीय अंश के तहत मात्र ₹ 5,420.75 करोड़ दर्शाए गए। इसके अतिरिक्त, जनता के लिए समर्पित एवं बनाई गई परिसंपत्तियां, राज्य सरकार के बजट एवं व्यय को अधिकतम ₹ 1,533.06 करोड़ तक सीमित करते हुए राज्य सरकार के लेखाओं से बाहर रखा गया।

2021-22 के दौरान भारत सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सीधे निधियां प्राप्त करने वाली कुछ प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम तालिका-4.2 में दिए गए हैं:

तालिका 4.2: भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियां
1	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास और रोजगार गारंटी सोसायटी	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	1,085.03
2	निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम की अधिकारिता	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	147.64
3	निदेशक, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम आयोजना एवं आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास	73.36
4	निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	61.48
5	निदेशक उच्च शिक्षा	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	33.70
6	निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम की अधिकारिता	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	29.39
7	निदेशक, कृषि	कृषि यंत्रीकरण पर सह-मिशन	22.47

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

ये निधियां राज्य की समेकित निधि के माध्यम से नहीं भेजी जाती हैं, इसलिए वार्षिक लेखे ऐसी निधियों के प्रवाह को नहीं दर्शाते हैं। इस प्रकार, राज्य की प्राप्तियों व व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चर एवं उनसे व्युत्पन्न मापदण्ड अधिकतम सीमा तक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

4.2 सब्याज निक्षेपों के प्रति ब्याज के संबंध में देयताओं का निर्वहन न करना

2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (राष्ट्रीय पेंशन योजना) की सीमित अंशदान पेंशन योजना हेतु ₹ 5.42 करोड़ का कम अंशदान किया तथा 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत रखे शेष ₹ 7.66 करोड़ के लिए न तो प्रावधान किया और न ही ₹ 0.54 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में उसके भाग का अंशदान ₹ 0.20 करोड़ कम किया एवं मार्च 2021 की समाप्ति तक मुख्य लेखा शीर्ष 8342 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में रखे शेष ₹ 7.88 करोड़ के लिए न तो प्रावधान किया एवं न ही ₹ 0.47 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

4.3 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 157 की शर्तों के अनुसार जहां किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए हैं, वहां सम्बंधित विभागीय

अधिकारी अनुदेयी से उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्राप्त कर उसका सत्यापन करने के पश्चात् स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट तिथियों के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अगेषित करेंगे। सहायता-अनुदान का आहरण करने वाले विभागीय अधिकारी अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूर्ण करने का प्रमाणीकरण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से कराने हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों के उपयोग का आश्वासन न मिलने का परिचायक है तथा इस प्रकार लेखाओं में अधिकतम सीमा तक दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। मार्च 2022 तक ₹ 4,752.14 करोड़ राशि के 3,619 उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित थे (परिशिष्ट-4.1)। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार बकाया तालिका-4.3 व तालिका-4.4 में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 4.3: उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि	उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2019-20 तक	1,487	1,587.06	526	537.09	961	1,049.97
2020-21	1,312	1,970.76	477	661.58	835	1,309.18
2021-22	15,605	4,563.10	13,782	2,170.11	1,823	2,392.99
योग:	18,404	8,120.92	14,785	3,368.78	3,619	4,752.14

स्त्रोत:- प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर संकलित।

टिप्पणी: 2020-21 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान हेतु उपयोगिता-प्रमाणपत्र केवल 2021-22 में बकाया हुए अर्थात् "देय वर्ष" से सम्बंधित ऊपर उल्लिखित वर्ष अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह पश्चात्।


तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

सहायता अनुदान अंतरित किए जाने का वर्ष	बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	15	25.79
2016-17	111	65.54
2017-18	248	313.74
2018-19	587	644.90
2019-20	835	1,309.18
2020-21	1,823	2,392.99
योग	3,619	4,752.14

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने का अर्थ है कि वर्षों से निधियां कैसे खर्च की गई इसका प्राधिकारियों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी आश्वासन नहीं मिला कि यह निधियां जिन अभीष्ट लक्ष्यों हेतु प्रदान की गई थी उन्हें प्राप्त किया गया। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को

प्रस्तुत न करने से निधियों के दुरुपयोग का खतरा रहता है इसीलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करें एवं उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के समयबद्ध प्रस्तुतीकरण हेतु जिम्मेदार सम्बंधित व्यक्तियों पर दबाव बनाएं।

चार्ट-4.1: 2020-21 तक 10 प्रमुख विभागों के सम्बन्ध में चुकाए गए अनुदानों हेतु बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र



₹ 4,752.14 करोड़ के अनुदानों हेतु कुल 3,619 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,359.15 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,796 उपयोगिता-प्रमाणपत्र 2015-16 से 2019-20 की अवधि से सम्बंधित थे। बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की कुल ₹ 4,752.14 करोड़ की राशि में से 81.43 प्रतिशत चार विभागों से सम्बंधित थे - पंचायती राज हेतु 33.25 प्रतिशत (₹ 1,580.03 करोड़); शहरी विकास हेतु 23.87 प्रतिशत (₹ 1,134.45 करोड़); आयुर्वेद (आयुष) हेतु 13.42 प्रतिशत (₹ 637.98 करोड़) तथा ग्रामीण विकास हेतु 10.89 प्रतिशत (₹ 517.42 करोड़)।

चयनित पांच विभागों अर्थात् पंचायती राज (519 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 225.64 करोड़), शहरी विकास (21 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 32.85 करोड़), आयुर्वेद (आयुष) (18 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 73.73 करोड़), ग्रामीण विकास (43 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 342.36 करोड़) एवं युवा सेवाएं व खेल (04 उपयोगिता-प्रमाणपत्र - ₹ 0.40 करोड़), के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा/नमूना-जांच करते समय यह देखा गया कि अनुदान के ₹ 3,870.29 करोड़ (1,503 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों में से 605 उपयोगिता-प्रमाणपत्र) में से ₹ 674.98 करोड़ की राशि का या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से उपयोग किया गया एवं उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को अनुदेयियों (कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों) ने विभागाध्यक्षों को भेजा था। तथापि संबंधित विभागाध्यक्षों ने अपेक्षानुसार सत्यापन के उपरांत उन्हें प्रधान महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को लेखाओं में बकाया के रूप में दर्शाया गया। ऐसा निदेशालय स्तर पर निगरानी की कमी के कारण हुआ, अतः बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की प्रास्थिति/ पहलू पर विभागाध्यक्षों द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए ताकि उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

4.4 अनुदेयी संस्थान को “अन्य” के रूप में दर्ज करना

सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों को विशेष कोड प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस तरह से ये अनुदान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जा सकते हैं तथा प्रत्येक निकाय/प्राधिकरण की बकाया राशि पर उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी की जा सकती है। उचित कोड के अभाव में अनुदेयी की बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

हिमाचल प्रदेश में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की निगरानी करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों/संस्थानों/प्राधिकरणों को कोड आवंटित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2021-22 हेतु वित्त लेखाओं की **विवरणी-10** के अनुसार विभिन्न संस्थानों को सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 4,980.80 करोड़ की राशि दी गई थी जिसमें से ₹ 1,039.50 करोड़ (20.85 प्रतिशत) “अन्य” को दिए गए।

विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान सरकार ने सहायता-अनुदान की उल्लेखनीय राशि लगातार “अन्य” के रूप में दर्ज की, जो 15.83 प्रतिशत से 28.85 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा की **तालिका-4.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.5: ‘अन्य’ प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता-अनुदान की कुल राशि	‘अन्य’ प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को दी गई राशि	कुल सहायता अनुदान से प्रतिशत
2017-18	2,895.45	784.69	27.10
2018-19	3,633.95	1,048.43	28.85
2019-20	3,506.49	555.22	15.83
2020-21	4,563.11	946.89	20.75
2021-22	4,980.80	1039.50	20.87

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

4.5 सार आकस्मिक बिल

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 का नियम 183 (3)(V) में परिकल्पित है कि सरकारी कोषागार से कोई धन तब तक आहरित न किया जाए जब तक की उसके तत्काल

संवितरण की आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बिल के माध्यम से सेवा शीर्षों से डेबिट करते हुए धन का आहरण करने का अधिकार होता है। नियम 187 में आगे अप्रत्याशित परिस्थितियों हेतु आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए सार आकस्मिक बिलों से आहरण करने का प्रावधान है, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एक समय में जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा मात्र एक अग्रिम प्रदान/पारित किया जा सकता है। यह सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी होगी की अग्रिम को जिस वित्तीय वर्ष में आहरित किया गया है उसी वर्ष में समायोजित किया जाए। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी अग्रिमों को अलग-अलग अग्रिम रजिस्टर में दर्ज करेंगे। वे इस बात का निगरानी करेंगे कि इनका प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर लेखांकन किया गया है। अग्रिम भुगतान रजिस्टर लगातार संचालित किया जाना चाहिए तथा उनका अनुरक्षण तब तक किया जाना चाहिए जब तक सभी अग्रिम पूरी तरह से वसूली/समायोजित की श्रेणी में प्रविष्ट नहीं हो जाते।

राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिमों के आहरण एवं निगरानी तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के विस्तृत आकस्मिक बिलों के द्वारा उनका समायोजन करने के लिए किसी तंत्र का निरूपण नहीं किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषागार से आकस्मिक प्रकृति के अग्रिम आहरित करने हेतु उसी फॉर्म (अर्थात् HPTIR-5) का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, आकस्मिकता/सहायता-अनुदान/छात्रवृत्ति/ अन्य शुल्क, आदि जैसे अन्य सभी नियमित प्रकृति के व्यय के लिए उपयोग किया जाता है। अतएव सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों को अन्य व्यय से अलग करने /पहचानने एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन हेतु कोई तंत्र नहीं था। जिसके फलस्वरूप प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों की सूची/विवरणों की निगरानी करने तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनका समायोजन करने में असमर्थ है। यह मुद्दा भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के विगत वर्षों के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा वित्त लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र में मामलों के महत्त्व में लगातार चिह्नित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस मामले पर राज्य सरकार के साथ भी बार-बार चर्चा की गई/उठाया गया।

प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2022) कि सार आकस्मिक बिलों के आहरण एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश विचाराधीन हैं तथा इन बिलों के संहिताकरण (कोडीफिकेशन) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा सेवा एवं खेल, कृषि, उद्यानिकी एवं अभियोजन नाम के छः विभागों को सार आकस्मिक बिल के आहरण हेतु अधिकृत किया है। इन विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों/रजिस्ट्रों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि 2016-17 से 2021-22 के दौरान आयुर्वेद (60), उद्यानिकी (37), युवा सेवा एवं खेल (05) एवं अभियोजन (01) विभागों द्वारा ₹ 97.26 करोड़ की राशि के 103 सार आकस्मिक बिल आहरित किए गए, जिनमें से आयुर्वेद विभाग के ₹ 10.67 करोड़ राशि के आहरित किए गए 46 सार आकस्मिक बिल समायोजन हेतु लंबित हैं।

आगे यह देखा गया कि कुछ अन्य विभाग भी, जिन्हें राज्य सरकार ने सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम लेने हेतु अधिकृत नहीं किया था, अग्रिम आहरण कर रहे थे। उदाहरणार्थ, प्राथमिक शिक्षा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के आयोजन हेतु ₹ 0.12 करोड़ आहरित किए, जिसे वर्ष के दौरान समायोजित भी कर दिया गया।

इस प्रकार बिलों की पहचान/ उन्हें अलग करने के किसी उपयुक्त तंत्र के बिना सार आकस्मिक बिल के माध्यम से अग्रिमों का आहरण सरकारी धन के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन की संभावनाओं को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त विस्तृत आकस्मिक बिलों के अधिकतम सीमा तक प्राप्त न होने से वित्त लेखाओं में दिखाए गए व्यय को सही/अंतिम नहीं बताया जा सकता। और तो और सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से अग्रिम आहरित करने के लिए केवल/छह विभागों का चयन/प्राधिकार, राज्य सरकार/विभाग की ओर से समझ की कमी को दर्शाता है क्योंकि यदि अन्य विभाग द्वारा किसी सार आकस्मिक बिल का आहरण किया गया हो, तो उसकी पहचान/निगरानी नहीं की जा सकती।

4.6 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड-I, 1971 के नियम 12.7 के तहत व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन किसी विशिष्ट उद्देश्यार्थ समेकित निधि से राशि के हस्तांतरण द्वारा एवं सम्बंधित सेवा मुख्य शीर्ष में बिना वास्तविक नकदी प्रवाह के अंतिम व्यय के रूप से बुक करके किया जाता है। व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में रखा अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समेकित निधि में वापस अंतरित किया जाना तथा आवश्यकतानुसार अगले वर्ष पुनः खोलना अपेक्षित है। विगत कई वर्षों से लगातार पत्राचार करने के बावजूद राज्य सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया।

2021-22 की समाप्ति पर 106 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में ₹ 1.74 करोड़ की राशि समेकित निधि में हस्तांतरित किए बिना अव्ययित शेष के रूप में रखी गई (परिशिष्ट-4.2)। वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की प्रास्थिति तालिका-4.6 में दी गई है।

तालिका 4.6: 31 मार्च 2022 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं (मुख्य शीर्ष 8443-106) की प्रास्थिति
(₹ करोड़ में)

01.04.2021 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखे		वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष के दौरान समापन/आहरण		31.03.2022 तक अंत शेष		परिचालित लेखे		अपरिचालित लेखे	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
112	2.18	02	0.22*	08	0.66	106	1.74	69	1.71	37	0.03

* 2021-22 के दौरान ₹ 0.22 करोड़ की राशि को प्राप्ति के रूप में ₹ 0.59 करोड़- व्ययगत हुई निक्षेप राशि ₹ 0.37 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है।

कुल 106 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में से 69 परिचालनाधीन थे जबकि 37 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे (जिनमें से 26 लेखाओं में शून्य शेष था) तीन वर्ष से अधिक समय से परिचालन में नहीं थे। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दो व्यक्तिगत निक्षेप लेखे प्रारंभ किए गए तथा आठ व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बंद किए गए।

निर्धारित प्रक्रियानुसार व्यक्तिगत निक्षेप लेखे प्राधिकृत लेखा शीर्षों के तहत यथा मुख्य शीर्ष-8443-सिविल निक्षेप-106-व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में खोले जाते हैं तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखाधारकों एवं कोषागारों द्वारा आपूरित धन व ऋण ज्ञापनों के साथ मिलान किए जाते हैं। यद्यपि 38 ऐसे मामले पाए गए जहां व्यक्तिगत निक्षेप लेखे मुख्य शीर्ष-8448-109 के तहत खोले गए थे जो की प्राधिकृत लेखा शीर्ष नहीं था।


व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में अव्ययित शेष रखने का अर्थ है कि व्यय में अधिकतम शेष तक अन्योक्ति हुई। व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का आवधिक रूप से मिलान न करने एवं व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखी अव्ययित राशि समेकित निधि में हस्तांतरित न करने से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है।

4.7 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग


अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्यशीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। यदि ऐसे दृष्टांत नियमित रूप से घटित होते हैं तब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से चर्चा कर उचित लघु शीर्ष खोलने की मंजूरी प्राप्त करें। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि प्राप्तियों व व्यय की लघु शीर्ष-800 के तहत अविवेकपूर्ण बुकिंग लेनदेन की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करती है तथा लेखाओं को अस्पष्ट बनती है।

2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष-800 का अधिकतम परिचालन चार्ट-4.2 एवं चार्ट-4.3 में दिया गया है।

चार्ट-4.2: 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां का परिचालन



चार्ट-4.3: 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



2021-22 के दौरान 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,255.53 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय (₹ 42,223.92 करोड़) कुल व्यय का 5.34 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति 46 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,957.37 करोड़ की राशि, जो कुल प्राप्तियों (₹ 37,316.31 करोड़) का 5.25 प्रतिशत थी, लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के तहत प्राप्ति व व्यय के उल्लेखनीय अनुपात (मुख्य शीर्ष के तहत कुल प्राप्ति/व्यय का 20 प्रतिशत या अधिक एवं ₹ 5 करोड़ से अधिक) वर्गीकृत करने के दृष्टांत तालिका-4.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.7: 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष-'800-अन्य प्राप्ति/व्यय' के तहत बुक की गई उल्लेखनीय राशि (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियां"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
1.	0801- विद्युत	1,183.51	1,183.51	100.00	2043- राज्य वस्तु व सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	5.37	5.37	100.00
2.	4000- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	7.01	7.01	100.00	2075- विविध सामान्य सेवाएं	30.06	29.81	99.17
3.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.17	17.49	91.24	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	330.52	323.60	97.91
4.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	104.90	90.16	85.95	4235- सामाजिक प्रतिभूति एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	14.39	13.30	92.43
5.	0230- श्रम एवं रोजगार	13.94	10.63	76.26	4851- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	122.73	109.07	88.87
6.	0045- माल व सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	340.58	235.68	69.20	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	19.47	14.52	74.58
7.	0401- फसल पालन	8.19	5.62	68.62	4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	11.21	7.78	69.40
8.	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.23	11.55	67.03	2801- विद्युत	1,645.69	1,048.98	63.74
9.	1054- सड़क एवं पुल	21.69	11.17	51.50	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	89.81	56.27	62.65
10.	0059- लोक निर्माण कार्य	69.00	23.75	34.42	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.99	9.49	59.35
11.	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.59	1.90	28.83	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	31.82	16.84	52.92

क्र. सं.	"800-अन्य प्राप्तियाँ"				"800-अन्य व्यय"			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
12.	0406- वानिकी एवं वन्य जीव	106.28	30.62	28.81	2402- मृदा एवं जल संरक्षण	124.98	44.67	35.74
13.	0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20.11	4.53	22.53	2851- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग	167.20	55.97	33.47
14.	--	--	--	--	2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	261.83	78.12	29.84
15.	--	--	--	--	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पूंजीगत परिव्यय	12.67	2.49	19.65
	योग:	1,918.20	1,633.62	85.16	योग:	2,883.74	1,816.28	62.98

स्त्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से प्रमाणित होता है कि 13 मुख्य शीर्षों में लगभग 85 प्रतिशत प्राप्तियाँ '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत तथा 15 मुख्य शीर्षों में लगभग 63 प्रतिशत व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किया गया। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अंतर्गत बड़ी राशि के वर्गीकरण ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता एवं आवंटन सम्बन्धी प्राथमिकता/ व्यय की गुणवत्ता पर समझ पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

राज्य सरकार/वित्त विभाग के साथ अंतिम बैठक (जून 2021) के दौरान वर्ष 2020-21 की राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित मामले पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने बताया कि लघु शीर्ष-800 के तहत बुक राशि समाप्त करने/युक्तिसंगत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा इसके प्रभाव/परिवर्तन आगामी बजट अनुमानों में देखे जा सकेंगे।

माप से सम्बंधित मुद्दे

4.8 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। उचंत एवं प्रेषण मदों की अनापत्ति राज्य कोषागारों/कार्यों व वन मण्डलों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत विवरण पर निर्भर करती है। विगत तीन वर्षों में मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आंकड़ों की प्रास्थिति तालिका-4.8 में दी गई है।

तालिका 4.8: उचंत एवं प्रेषण शेष की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658 - उचंत लेखा						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	124.62	56.33	138.83	66.53	133.69	87.07
निवल	68.29 डेबिट		72.30 डेबिट		46.62 डेबिट	
102- उचंत लेखा (सिविल)	1,551.08	164.34	1,854.36	223.31	767.15	271.88
निवल	1386.74 डेबिट		1,631.05 डेबिट		495.27 डेबिट	
110- रिज़र्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	3,755.23	3,755.23	2.24	2.26	26.53	00.00
निवल	निरंक		0.02 क्रेडिट		26.53 डेबिट	
112- स्रोत से कर कटौती उचंत	447.74	468.23	471.25	497.83	00.03	41.60
निवल	20.49 क्रेडिट		26.58 क्रेडिट		41.57 क्रेडिट	
129- सामग्री खरीद-निपटान उचंत लेखा	139.79	244.17	81.69	219.46	00.00	234.90
निवल	104.38 क्रेडिट		137.77 क्रेडिट		234.90 क्रेडिट	
8782 - एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण एवं समायोजन						
102- लोक लेखा प्रेषण	7,507.51	8,104.89	6,841.07	7,372.10	00.00	637.47
निवल	597.38 क्रेडिट		531.03 क्रेडिट		637.47 क्रेडिट	
103- वन प्रेषण	124.72	141.58	0.03	16.81	00.00	16.67
निवल	16.86 क्रेडिट		16.78 क्रेडिट		16.67 क्रेडिट	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 हेतु वित्त लेखाओं में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत लघु शीर्ष 101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102-उचंत लेखा (सिविल) एवं 110-रिज़र्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के तहत उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत (लघु शीर्ष 101): इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्संरकारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। विगत वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष के तहत ₹ 72.30 करोड़ के डेबिट शेष के प्रति बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2022) ₹ 46.62 करोड़ था। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (कार्यालयों) की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है।

उचंत लेखा - सिविल (लघु शीर्ष 102): वे लेनदेन जो कुछ जानकारी/दस्तावेजों (चालन, वाउचर इत्यादि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखाओं के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते, उन्हें आरंभिक तौर पर इस उचंत शीर्ष के तहत बुक किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस लेखा में प्राप्तियां क्रेडिट की जाती हैं एवं व्यय डेबिट किए जाते हैं तथा अपेक्षित जानकारी की प्राप्ति पर ऋण क्रेडिट व ऋण डेबिट द्वारा समाप्त किए जाते हैं। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष दर्शाता है कि 'भुगतान किया गया' परन्तु कुछ वांछित विवरणों के अभाव में व्यय के

अंतिम शीर्ष से डेबिट नहीं किया जा सका तथा बकाया क्रेडिट शेष 'प्राप्तियां' दर्शाता है जो वांछित विवरणों के अभाव में अंतिम प्राप्ति लेखा शीर्ष में क्रेडिट नहीं की जा सकी।

2021-22 के दौरान वित्त लेखाओं में मुख्य रूप से व्यय के संबंधित शीर्षों (राजस्व व्यय: ₹ 1,057.29 करोड़ व पूंजीगत व्यय: ₹ 133.49 करोड़) के तहत ₹ 1,190.78 करोड़ (2019-20 के ₹ 1,183.76 करोड़ व 2020-21 के ₹ 7.02 करोड़) के निपटान/समायोजन एवं बुक करने के कारण उच्चतम शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर ₹ 1,135.78 करोड़ घट कर 2020-21 के ₹ 1,631.05 करोड़ से ₹ 495.27 करोड़ हो गया जो बजट प्रावधानों के प्रति इस सीमा तक व्यय की अन्योक्ति के रूप में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के साक्ष्य के रूप में वाउचर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 78.74 करोड़ राशि (राजस्व व्यय: ₹ 74.28 करोड़ व पूंजीगत व्यय: ₹ 4.46 करोड़) पर आपत्ति की गई तथा इस शीर्ष के तहत बुक किया गया। वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के प्रति ₹ 78.74 करोड़ की आपत्तिजनक राशि को वित्त लेखाओं में राजस्व/पूंजीगत व्यय अथवा विनियोजन लेखाओं में वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया।

वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष (लोक लेखा) के तहत भारी शेष राशि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अधिकतम सीमा तक विकृत कर देती है, क्योंकि इन व्ययों/प्राप्तियों को उनके अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सका तथा यह राज्य की समेकित निधि से बाहर ही रहे।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को बजट अनुदानों के भीतर सीमित रखने के लिए खर्च को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सक्षम बनाने एवं उनके लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य के वित्तीय नियम निर्धारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी लेखा-बहियों में दर्ज प्राप्ति व व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की लेखा-बहियों की प्रविष्टियों से हर माह उनके द्वारा किया जाए।

वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 37,316.31 करोड़) एवं राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 42,223.92 करोड़) के इस प्रकार के मिलान पूर्ण किए गए।

4.10 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की लेखा-बहियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए शेष के मध्य दर्शाए गए राज्य के नकद शेष में अंतर नहीं होना चाहिए।

यद्यपि 31 मार्च 2022 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के लेखा में दर्शाए गए आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों के मध्य नकद शेष में ₹ 10.11 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर पाया गया। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा ₹ 45.41 करोड़ (क्रेडिट) का नकद शेष परिकल्पित किया गया था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 55.52 करोड़ (डेबिट) की सूचना दी थी। अंतर का मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा लेनदेनों की गलत रिपोर्टिंग तथा उनका मिलान न करना रहा।

डिस्कलोजर से सम्बंधित मुद्दे

4.11 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखांकन प्रणालियों की परिवृद्धि हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक निरूपित करने हेतु 2002 में सरकारी लेखांकन मानक परामर्श बोर्ड की स्थापना की। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना का विवरण तालिका-4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखा मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1	भारत सरकार लेखांकन मानक 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी	आंशिक अनुपालन	भारत सरकार लेखांकन मानक-1 में अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्र-वार एवं श्रेणी-वार डिस्कलोजर वित्त लेखाओं में दर्ज किया जाए। विवरणी 9 व 20 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर उसके द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटी राशि पर ब्याज को दर्शाती है। यद्यपि राज्य के वित्त लेखाओं में क्षेत्र-वार विवरण का डिस्कलोजर दिया गया है तथापि श्रेणी-वार विवरण दर्ज नहीं किए गए।
2	भारत सरकार लेखांकन मानक 2: सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन	भारत सरकार लेखांकन मानक-2 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति की विशेष अनुमोदन के मामले को छोड़कर, सहायता-अनुदान से सम्बंधित व्यय का वर्गीकरण राज्य से व्यय के रूप में किया जाए, भले ही यह परिसंपत्ति सृजन से अंतर्विष्ट हो। राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता-अनुदान के लेखांकन व वर्गीकरण से सम्बंधित आवश्यकताएं विवरणी 10 व परिशिष्ट III में दर्शाई गई हैं, जो भारत सरकार लेखांकन मानक-2 की अपेक्षानुसार बनाई जाती है। इस प्रकार से दिए गए सहायता-अनुदान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अनुदेयी को अगली किस्त उपलब्ध कराने से पूर्व उपयोगिता

क्र. सं.	लेखा मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
			प्रमाणपत्र प्राप्त करने के भारत सरकार लेखांकन मानक के निर्देश सुनिश्चित नहीं किए गए।
3	भारत सरकार लेखांकन मानक 3: सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	आंशिक अनुपालन	वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18 को भारत सरकार लेखांकन मानक 3 के तहत डिस्कलोजर सम्मिलित करके बनाया गया है। वित्त लेखाओं की इन विवरणियों में सूचित किए गए ऋणों व अग्रिमों के विवरण सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण व अग्रिमों के सम्बन्ध में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं एवं उसके द्वारा तैयार किए गए लेखाओं से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम के तहत शेष राशि का पूरी तरह से मिलान नहीं किया गया था। छ: ऋणी संस्थाओं में से पांच ने 31 मार्च 2022 तक विवरण 7 व 18 में दर्शाई गई शेष राशि का मिलान कर लिया है।

स्त्रोत: भारत सरकार के लेखा मानक एवं वित्त लेखे

4.12 स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून व न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। राज्य के 18 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 18 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती है तथा इसके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं (परिशिष्ट-4.3)। बकाया लेखाओं वाले निकायों/प्राधिकरणों का विवरण तालिका-4.10 में दिया गया है:

तालिका- 4.10: निकायों अथवा प्राधिकरणों के बकाया लेखे

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	जब से लेखे लंबित हैं	2021-22 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	08
2.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2017-18	04

तालिका-4.10 से स्पष्ट है कि दो निकायों/प्राधिकरणों (18 में से) के लेखे प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के संदर्भ में चार वर्ष एवं हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के संदर्भ में आठ वर्ष की अवधि तक बकाया रहे। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न लग पाने का जोखिम रहता है एतएव लेखाओं को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देना एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है।

* नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम, (ii) हाउसिंग बोर्ड, (iii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, (v) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं (vi) सामान्य वित्तीय संस्थान

सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के समेकन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

4.13 निकायों व प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, उस सहायता को देने का प्रयोजन एवं संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा व लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 में प्रावधान है कि निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण स्वीकृत करने वाली सरकार एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत में ऐसे निकायों/ प्राधिकरणों की, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान एवं/ या ऋण का भुगतान किया गया हो, विवरणी निम्नवत दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे (क) सहायता राशि, (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

राज्य सरकार ने ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के सकल अनुदान वाले हिमाचल राज्य के स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों/संस्थानों से सम्बंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि लेखापरीक्षा ने सम्बंधित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी। किसी भी निकाय/प्राधिकरण (जानकारी मांगी जाने वाले 35 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की (परिशिष्ट-4.3)।

राज्य सरकार/विभागाध्यक्ष द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत न करना लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त ऐसी जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा किए जाने वाले निकायों/प्राधिकरणों की पहचान नहीं हो सकी साथ ही राज्य की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों एवं ऋणों से किए गए व्यय की शुद्धता, नियमितता/औचित्य की जांच भी लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

4.14 लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता

2021-22 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को मासिक लेखे प्रस्तुत करने वाली समस्त इकाइयों (कोषागार, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई व लोक स्वास्थ्य विभाग तथा वेतन व लेखा कार्यालय, नई दिल्ली) ने उनके लेखे समय पर प्रस्तुत किए तथा छोड़ दिए जाने का कोई मामला नहीं देखा गया।

अन्य मुद्दे

4.15 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 के अनुसार किसी अधिकारी से जानबूझ कर अथवा अनजाने में हुई किसी चूक, कृत्य या उपेक्षा के कारण इन नियमों के नियम 21 में उल्लेखित कारणों से सरकार को हुई किसी हानि के लिए उसे व्यक्तिगत अथवा परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 145(5) के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल खराब हो जाता है तो उसकी जवाबदारी तय की जाएगी।

विगत वर्ष अर्थात् मार्च 2021 की समाप्ति पर राज्य सरकार के पास ₹ 90.12 करोड़ राशि के दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 42 मामले थे। वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें से ₹ 37.80 करोड़ की राशि वाले 11 मामलों का निपटारा/समाशोधन किया गया। हालांकि, मार्च 2022 तक सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त ₹ 52.32 लाख राशि के दुर्विनियोजन /हानि, चोरी आदि के अभी भी 31 मामले थे, जिन पर अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इन सभी मामलों में संबंधित विभागों ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं इन मामलों में लंबित कार्रवाई के कारणों को तालिका 4.11 में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.11: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
शिक्षा	03	2.95	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	19	15.84
भू-राजस्व	01	2.57	वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	01	2.57
बागवानी	03	2.89			
पुलिस	01	0.08			
नगर निगम, चम्बा	01	0.42	न्यायालयों में लंबित	03	25.43
गृह रक्षक	02	25.37			
लोक स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटान हेतु प्रतीक्षित	07	8.06
वन	04	5.93			
लोक निर्माण	15	11.16			
			अन्य	01	0.42
योग	31	52.32	योग	31	52.32

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र खोजें।

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा तथा सरकारी सामग्रियों की प्रत्येक चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि की श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या तालिका-4.12 में सारांशित की गई है।

तालिका-4.12: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
0-5	1	0.40	चोरी के मामले	6	3.78
5-10	5	8.50			
10-15	2	0.71	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	25	48.54
15-20	5	26.58			
20-25	7	8.71			
25 व अधिक	11	7.42			
योग	31	52.32	कुल लंबित मामले	31	52.32

हानि के कुल मामलों में से 80.65 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि से सम्बंधित हैं तथा शेष 19.35 प्रतिशत चोरी के मामले हैं। दुर्विनियोजन/चोरी के कुल 31 मामलों में से 61.29 प्रतिशत (19 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने में विलम्ब एवं आपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि 30 मामले (कुल 31 में से) पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें 18 वे मामले भी हैं, जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे।

इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के उदासीन दृष्टिकोण से न केवल राज्य के राजकोष को हानि हुई अपितु गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई। सरकार चोरी, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि से संबंधित उपरोक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

4.16 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई से सम्बंधित टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स)/स्वतः उत्तर प्रस्तुत किए। राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर इस तिथि तक चर्चा नहीं की थी।

4.17 निष्कर्ष

- ₹ 4,752.14 करोड़ (3,619 उपयोगिता प्रमाणपत्र) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा में थे, जो विभाग द्वारा अनुदेयी को जारी अनुदानों के संदर्भ में निगरानी के अभाव की परिचायक थे एवं इससे विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरुपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- इसी भांति अग्रिमों की पहचान/विशिष्टता जानने के किसी तंत्र के बिना आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सार आकस्मिक बिलों के माध्यम अग्रिमों के आहरण एवं तत्पश्चात निगरानी के अभाव से सरकारी धन के दुर्विनियोजन/दुरुपयोग का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत न करने एवं अनुदानों व ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न करने से ऐसे स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत व्यय (₹ 2,255.53 करोड़- कुल व्यय का 5.34 प्रतिशत) व प्राप्तियों (₹ 1,957.37 करोड़- कुल प्राप्तियों का 5.25 प्रतिशत) की उल्लेखनीय राशि बुक की गई जिसने वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकता को अस्पष्ट किया।
- ₹ 0.52 करोड़ राशि की चोरी, दुर्विनियोजन/शासकीय सामग्री की हानि एवं गबन के 31 मामले पाए गए, जिनके संबंध में विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।
- राज्य सरकार ने अधिसूचित भारत सरकार लेखांकन मानक राज्य में अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किए।

4.18 सिफारिशें

- सरकार विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार सार आकस्मिक बिलों द्वारा अप्रत्याशित प्रकृति के अग्रिमों के आहरण एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करें।

- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि सम्बंधित स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनके लेखे लेखापरीक्षा को अविलम्ब प्रस्तुत करते हैं।
- राज्य सरकार लेखा-बहियों में लेनदेन सही रूप से वर्गीकृत करने के लिए उचित लेखा शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बुक की गई राशि के उचित लेखांकन हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
- राज्य सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य में भारत सरकार लेखांकन मानक पूर्णतः लागू करने के लिए कदम उठाएं।